

—तीस—

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या: क0नि0 5-3904/11-2003-500 (35)/2000 टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-6468/11-2002-500 (35)/2000, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 द्वारा स्वीकृत स्टाम्प शुल्क की छूट को 01 जुलाई, 2003 से अग्रिम आदेश तक विस्तारित करते हैं।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट
(वी0के0 शर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या: क0नि0.5-3904/11-2003-500 (35)/2000 टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक 29 जुलाई, 2003 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 10 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियां आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट
(वी0के0 शर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या: क0नि05-3904/11-2003-500(35)/2000 टी0सी0 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अपर सचिव, राजस्व परिषद/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि समस्त उप निबन्धकगण को अवगत कराने का कष्ट करें।
- (2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- (5) मुख्य कार्यापालक अधिकारी, नोएडा ग्रेटर नोएडा।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, 117/130 सर्वोदय नगर, कानपुर।
- (7) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
- (9) विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(वी0के0 शर्मा),
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification No. K.N.5-3904/11-2003-500 (35)/2000 TC dated 29 July, 2003 for general information.

No. K.N.5-3904/11-2003-500 (35)/2000 TC
Lucknow Dated 29 July, 2003
NOTIFICATION
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to extend the exemption in stamp duty granted by Government notification No. K.N.5-

6468/11-2000-500 (35)/2000 dated November 12, 2002 from July 01, 2003
until further orders.

By order,
Sd/- Illegible
(V.K.Sharma)
Prमुख Sachiv.